अति तत्काल
स्पीड पोस्ट/ ई-मेल द्वारा/व्यक्तिगत रूप से

फा.सं. 3(3)/9/2011-एनबीएमएसएमई
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एम एस एम ई) का कार्यालय
(एनबीएमएसएमई प्रभाग)

7वां तल, ए विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
दिनांक: 01 नवंबर, 2011

विषय: 30 सितंबर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एन बी एम एस एम ई) की 30 सितंबर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नौवीं बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न है। कार्यवृत्त को हमारी वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

अनुरोध है कि यदि कार्यवृत्त में कोई विसंगति हो, तो कृपया हमें पंद्रह दिनों के भीतर सूचित करें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

समरेन्द्र साहु
(समरेंद्र साहु)
अपर विकास आयुक्त
दूरभाष: 011-23061847
फैक्स: 011-23061017
E-mail: ssahu@nic.in

सेवा में,

1. माननीय मंत्री (एमएसएमई) के निजी सचिव/एनबीएमएसएमई के उपाध्यक्ष और सभी सदस्य/ सचिव (एमएसएमई) के पीएसओ/विकास आयुक्त (एमएसएमई) के निजी सचिव/ एनबीएमएसएमई के विशेष आमंत्रित(सूची अनुसार)
2. एएस और एफए(एमएसएमई)/ जेएस (एमएसएमई) / जेएस (एआरआई) / ईए(आरकेएम),/ निदेशक (ए.डी./जे.जे.),उद्योग भवन, नई दिल्ली
3. एडीसी और ईए(एस.सी.)/एडीसी (एमपीएस)/डीडीजी(जीएस)/आईए/जेडीसी (एबी)/ निदेशक (प्रशा.)/ ए.आई.ए.(डी.बी.), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

प्रति:

सीनेट प्रभाग, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30.9.11 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

एनबीएमएसएमई की नौवीं बैठक माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में 30.9.11 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई । प्रतिभागियों की सूची संलग्न है ।

2. श्री अमरेंद्र सिंहा, संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने अध्यक्ष, सदस्यों और बोर्ड के विशिष्ट आमंत्रितों का स्वागत किया । इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) पर एक प्रजेंटेशन दिया ।

3. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मंत्री, एमएसएमई, ने अपनी उद्घाटन टिप्पणियों के दौरान विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन किया और क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए उनके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत किया । उन्होंने एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में राज्य सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका पर जोर दिया । इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाने और वैश्वीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए एनएमसीपी के विभिन्न घटकों के महत्व पर विशेष जोर देते हुए एमएसएमई मंत्रालय की कई नई पहलों का वर्णन किया ।

4. माननीय सांसद श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए एमएसएमई मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की । उन्होंने इस क्षेत्र, विशेष रूप से सूक्ष्म व लघु उद्यमों के विकास के लिए पर्याप्त और सस्ते ऋण की भूमिका पर भी जोर दिया । बैठकों को ऋण के संबंध में आरबीआई दिशा निर्देशों का पालन करने ओर एमएसएमई के परियोजना अनुमोदनों को तेज करने की आवश्यकता है।

5. माननीय सांसद श्री हंसराज जी. अहीर ने ऋण और कच्चे माल, विशेष रूप से कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुडी समस्याओं की ओर इंगित किया । उन्होंने एमएसई क्षेत्र के लिए मदों के आरक्षण को बनाए रखने का अनुरोध किया। साथ ही, सूक्ष्म उद्यमों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

6. माननीय सांसद श्री मनिका टैगोर ने राय व्यक्त की कि बोर्ड बैठकों की निरंतरता बढ़ाई जानी चाहिए । उन्होंने कच्चे माल जैसे स्टील ओर तांबे की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर चिंता व्यक्त की ओर एक निश्चित समय के लिए मूल्य स्थिरता की आवश्यकता जताई ।

7. डॉ. मानस रंजन भूनिया, माननीय सूक्ष्म, लघु उद्यम एवं वस्त्र मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लस्टरों के लिए क्लीयरेंस प्राप्त करने में विलंब और सॉफ्ट इंटरवेंशन से हार्ड इंटरवेंशन में जाने में लगने वाले समय की ओर ध्यान आकृष्ट किया । क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए फंड आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए । इसके अलावा, उन्होंने जोर दिया कि डीआईसी को बेहतर

अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय वित्तपोषण प्राप्त होना चाहिए । साथ ही, केवीआईसी को खादी व ग्रामोद्योगों के विकास के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए ।

8. श्री जी पी डालमिया, झारखंड स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा कि विलंबित भुगतान अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है और उन्होंने राज्यों में एक समान ब्याज दर लागू करने का अनुरोध किया।

9. श्री बी एल बहेटी, इंडियन फेडरेशन ऑफ टाइनी इंटरप्राइजेज, ने अति लघु उद्यमों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने विकास आयुक्त कार्यालय को दो में यानि विकास आयुक्त (अति लघु एवं सूक्ष्म) और विकास आयुक्त (एसएमई) में विभाजित करने की इच्छा प्रकट की ।

10. श्रीमती उमा रेड्डी ने एक नई खरीद नीति और उद्यमी ज्ञापन की ऑनलाइन फाइलिंग की दिशा में मंत्रालय की पहलों के लिए बधाई दी । इसके अलावा, उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में एमएसएमई संघों की बेहतर भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने सेकेंड हैंड मशीनरी के आयात को सीएलसीएसएस के तहत शामिल करने की भी इच्छा प्रकट की । उन्होंने कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने हेतु अनुरोध किया ।

11. श्री बादिश के जिंदल, फेडरेशन ऑफ पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने देश में चीन की वस्तुओं की भरमार को रोकने के लिए एंटी डंपिंग नियमों को मजबूत बनाने की अपील की । इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जेनरेटरों की खरीद को भी सीएलसीएसएस में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब जैसे राज्यों में बिजली की कमी बहुत व्यापक है । ऋण आवेदनों ओर उनके स्टेटस के बारे में बैंकों को ऑनलाइन सूचना प्रदान करनी चाहिए ।

12. श्री तेज बंत सिंह रीन, एसोसिएशन ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जम्मू व कश्मीर ने जोर देकर कहा कि सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को लघु और मध्यम उद्यमों से अलग किए जाने और विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्कता है क्योंकि वे अधिकतम रोजगार सृजित कर रहे हैं । साथ ही, सूक्ष्म क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को हल करने के लिए सिडबी को 10 लाख रूपये से ज्यादा का प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना चाहिए । जम्मू व कश्मीर में तैनात सैन्य व सुरक्षा बलों को जम्मू व कश्मीर के उद्योगों द्वारा ही उत्पादित वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा की खरीद करनी चाहिए ।

13. श्री के आर थंगराज, तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा कि कच्चे माल की घटती-बढ़ती कीमतों ओर ब्याज दर से एमएसएमई गंभीर रूप से प्रभावित हैं । भारत सरकार को राज्य वित्तीय निगम से ऋण लेने वाले एमएसई को तमिलनाडु सरकार की भांति ब्याज सब्सिडी देनी चाहिए।

14. श्री दिनकर जोशी, भारतीय मजदूर संघ ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं लाएं ।

15. सुश्री शशि सिंह, कन्सॉर्टियम ऑफ वूमन एंटरप्रिनियोर ऑफ इंडिया ने कहा कि मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं पंजीकरण से जुड़ी हैं, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए । उन्होंने जेंडर बजटिंग के महत्व पर भी जोर दिया ।

16. डा. पी एल धर, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कहा कि एनएमसीपी प्रस्ताव के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन एक अच्छी नई पहल है । चूंकि 26 मिलियन उद्योगों में से अधिकांश लघु क्षेत्र में हैं अतः उन्होंने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया ।

17. श्री बी.एन. गोलदर, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ ने कहा कि क्लाऊड कम्प्यूटिंग एक अच्छी पहल है । तथापि, इस स्कीम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए श्रमशक्ति तथा कौशल की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।

18. श्री निशिकांत मिश्रा, उड़ीसा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वित्त पोषण से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया । संयंत्र स्तरीय परमार्शदात्री समिति की बैठक तिमाही आधार पर होनी चाहिए । वृहत उद्योगों से एमएसएमई क्षेत्र को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है । उन्होंने सभी स्कीमों को सार्वजनिक करने तथा लक्षित स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी की प्रक्रिया विकसित करने का भी अनुरोध किया ।

19. श्री दीपक सरकार, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने एनएमसीपी के घटकों के व्यापक प्रचार के महत्व पर तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के एमएसएमई संघों की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया । उनका यह विचार भी था कि रूग्ण इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए अलग से एक हजार करोड़ रूपये का कार्पस रखा जाना चाहिए ।

20. श्री सुब्रता रंजन रॉय, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इंट्रप्रिनियोर्स ने कहा कि त्रिपुरा राज्य को केवीआईसी, कायर बोर्ड, एनएसआईसी तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक ध्यान देने तथा समर्थन देने की आवश्यकता है ।

21. श्री वी.के. अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने कहा कि एसपीवी के सृजन के माध्यम से पीपीपी मोड के तहत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव पर स्टेकहोल्डरों के बीच अधिक विचार-विमर्श अपेक्षित हैं ।

22. श्री पी. श्रीनिवासन, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी ने एनएमसीपी के बेहतर कार्यान्वयन तथा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियों की सहभागिता की आवश्यकता का सुझाव दिया । इसके अलावा, उन्होंने ऊर्जा कुशलता तथा एनर्जी आडिट के महत्व का और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में समर्पित एजेंसी की आवश्यकता का उल्लेख किया ।

23. श्री प्रकाश एन. रायकर, कर्नाटक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की । वह चाहते हैं कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई एसोसिएशन को एसपीवी माना जाए । सरकार को सिडबी में निधि डाल देनी चाहिए जिससे सिडबी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम दरों पर वित्त पोषण किया जा सके । सभी राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के दिशानिर्देश भी एक समान होने चाहिए।

24. श्री पी.एस. अगवान, चैम्बर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बढ़ती हुई ब्याज दरों की ओर ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने सभी एमएसएमई के लिए ब्याज दरों पर अनुदान की मांग की, जो इस समय केवल निर्यातकर्ता इकाइयों के लिए ही उपलब्ध हैं ।

25. श्रीचंद्रकांत सालुंखें, स्माल एंड मीडियम बिजनेस डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ इंडिया ने कहा कि सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है । इसके अलावा, वह चाहते है कि मंत्रालय एमएसएमई-डीआई, मुंबई में एक स्थाई प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना करे जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार 90 प्रतिशत तक निवेश करने की इच्छुक है ।

26. श्री नलिन कोहली, एसोसिएशन फॉर स्माल एंड मीडियम नॉलेज इंडस्ट्रीज ने एसएमई सेक्टर के लिए भारत से बाहर की कंपनियों के अधिग्रहण की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे ऐसे अधिग्रहण से प्रौद्योगिकी का प्रवाह हो । प्रस्तावित एसएमई एक्सजेंच भी केवल एसएमई तक ही सीमित होने चाहिए । उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में जहां कहां भी बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद हो वहां क्रय आदेशों का प्रवाह एसएमई की तरफ होना चाहिए ।

27. डा. ए.के. चंदा, अपर मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवा क्षेत्र के महत्व का तथा सूक्ष्म उद्यमों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता का उल्लेख किया । संभावित व्यवहार्य रूग्ण उद्यमों के पुनरूज्जीवन के लिए एक फोरम तथा मेकैनिज्म भी होनी चाहिए ।

28. श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, एमएसएमई ने प्रतिभागियों को, उनके द्वारा बढ़चढ़ कर भाग लेने तथा उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि इस सेक्टर से संबंधित मुद्दों को शासन, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, अवसरंचना, विपणन और कौशल विकास में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा स्टेकहोल्डरों के बढ़ती भागीदारी से इन मुद्दों को बेहतर ढंग से हल किया जा सकता है । उन्होंने राज्य सरकार से आनलाइन ईएम फाइलिंग की ओर बढ़ने के लिए समर्थन देने का अनुरोध किया । वह चाहते थे कि सिडबी प्रस्तावों के मूल्यांकन में लगने वाले असाधारण विलंब को कम करें । उन्होंने एमएसएमई से भी अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित क्रय नीति का पूरा लाभ उठाए ।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

******

<u>संलग्नक</u>

30.9.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एनबीएमएसएमई की 9वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	प्रतिभागी का नाम
1.	श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मंत्री, एमएसएमई
2.	डॉ मानस रंजन भूनिया, माननीय प्रभारी मंत्री, एम.एस.एस.ई.एंड टी. विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
3.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर, माननीय संसद सदस्य
4.	श्री मनिका टैगोर, माननीय संसद सदस्य
5.	श्री ऑस्कर फर्नांडीज, माननीय संसद सदस्य
6.	श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
7.	श्री अमरेंद्र सिंहा, संयुक्त सचिव व विकास आयुक्त, एमएसएमई
8.	श्री वी.एस. विजयराघवन, अध्यक्ष, कॉयर बोर्ड
9.	श्री सुशील महनोट, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सिडबी
10.	श्री सी डी श्रीनिवासन, सीजीएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
11.	सुश्री शशि सिंह, अध्यक्ष, कंसोर्टियम ऑफ वूमेन इंटरप्रेनरर्स ऑफ इंडिया
12.	श्री के आर थांगराज, अध्यक्ष, तमिलनाडु स्माल एंड टिनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
13.	श्री वी के अग्रवाल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
14.	श्री चंद्रकांत सालुन्खे, अध्यक्ष, स्माल एंड मीडियम बिजनेस डेवलपमेंट चैंबर ऑफ इंडिया
15.	श्री एस तेजबंत सिंह रीन, अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज
16.	श्री निशिकांत मिश्र, अध्यक्ष, उड़ीसा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज
17.	श्री पी. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ पांडिचेरी
18.	श्री बदीश के जिंदल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
19.	श्री पंकज गुप्त, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड
20.	श्री दीपक सरकार, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया
21.	श्री सुब्रत रंजन राय, अध्यक्ष, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इंटरप्रेरनर्स
22.	श्री पंकज चिमनभाई पटेल, अहमदाबाद
23.	सुश्री रमा वेदश्री, उपाध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज

24. श्री पी एस अगवान, चैंबर ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
25. श्री बी एल बहेती, महासचिव, इंडियन फेडरेशन ऑफ टिनी इंटरप्राइजेज
26. प्रो. बी एम गोल्दर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली
27. श्री दिनकर जोशी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भारतीय मजदूर संघ
28. श्री जे एस मिश्र, सी.ई.ओ., खादी और ग्रामोद्योग आयोग
29. श्री एच पी कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
30. श्री जी पी डालमिया, अध्यक्ष, झारखंड स्माल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
31. डॉ .पी एल धर, विशेषज्ञ सदस्य, केवीआईसी एवं
प्रोफेसर, मेकेनिकल इंजी. डिपार्टमेंट, आईआईटी, दिल्ली
32. श्री मोहन सुरेश, पूर्व अध्यक्ष, एफआईएसएमई
33. श्री नलिन कोहली, अध्यक्ष, एसोसिएशन फॉर स्माल एंड मीडियम नालेज इंडस्ट्रीज
34. सुश्री उमा रेड्डी, प्रबंध निदेशक, हाईटेक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोनिक प्रा.लि.
35. श्री प्रकाश एन रायकर, अध्यक्ष, केएएसएसआईए, बंगलोर
36. डॉ. एक के चंदा, अपर मुख्य सचिव, एम.एस.एस.ई. एंड टी. विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार
37. श्री दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
38. श्री विनोद चंद्र सेमवाल, उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन
39. श्री अल्केश कुमार शर्मा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, के.एस.आई.डी.सी., केरल सरकार
40. श्री मोहन जीत सिंह, विकास आयुक्त, दमन व दीव
41. श्री आनंद प्रताप सिंह, निजी सचिव, माननीय मंत्री, एमएसएमई
42. श्री आर के मनचंदा, आर्थिक सलाहकार, एमएसएमई मंत्रालय
43. श्री समरेंद्र साहू, अतिरिक्त विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
44. श्री जी. सजीवन, उप महानिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
45. श्री एम.पी. सिंह अतिरिक्त विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
46. श्री चंदन साहा, संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग
47. श्री निरंजन नायक, औद्योगिक सलाहकार, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
48. श्री अभय बाकरे, संयुक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
49. श्री अरूण कुमार झा, महानिदेशक,
नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रेनरशिप स्माल बिजनेस डेवलपमेंट
50. डॉ माला आयंगर, निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
51. श्री राजेश कुमार भूत, निदेशक (टीपीएल), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
52. श्री विकास सिंह, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
53. श्री वनराज ए चावडा, निदेशक (एसएसजी), विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई

54. श्री डी बंद्योपाध्याय, अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार,
विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
55. श्री संजीव सक्सेना, संयुक्त उद्योग निदेशक, राजस्थान सरकार
56. डॉ. इज्जतुल्लाह, निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
57. श्री आर के राय, निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
58. श्री एस के बसु, निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
59. श्री अनिल कुमार, निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
60. श्री हरीश आनंद, निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
61. श्री एस विजय कुमार, निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, इंदौर
62. श्री जे एस शुक्ला, जोनल हेड, कॉयर बोर्ड
63. श्री पी के सिंहा, उपनिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
64. श्री ए के गंगोपाध्याय, उपनिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
65. श्री जयपाल सिंह, उपनिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
66. श्री एन के वर्मा, उपनिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
67. श्री एल के चौधरी उपनिदेशक,
विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई, एजीसीआर बिल्डिंग
68. श्री आर के चौधरी, उपनिदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
69. डॉ नियति जोशी उपनिदेशक,
विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई, एजीसीआर बिल्डिंग
70. श्री जयरासव, डीएसएम, माननीय सचिव, टीएएनएसटीआईए
71. श्री विनोद नंदन बनर्जी, स्थायी समिति सदस्य (एफएएसआईआई)
72. श्री आर के शर्मा, पीपीएस टू एडीसी, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
73. मोहम्मद अली रहमान, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
74. श्री रहीस एम, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
75. श्री शहूद आलम, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
76. श्री डी के अग्रवाल, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
77. सुश्री जयंती काला, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
78. श्री संतोष दास, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
79. श्री बी बी साहू, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
80. सुश्री एस शक्ति रानी, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
81. श्री ओ पी सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
82. श्री वी. वी खरे, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
83. श्री बिजेंद्रर कुमार, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
84. श्री हरप्रीत सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
85. श्री सतिंदर सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई

86. श्री कुलदीप सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
87. श्री रिशिपाल सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
88. श्री डी एस कंडारी, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
89. श्री वी पी कुरील, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
90. श्री मुकेश शर्मा, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
91. श्री रामपाल सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
92. सुश्री संजुक्ता डे पाल, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
93. श्री गौरव सैनी, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
94. श्री प्रमोद भारती, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
95. श्री हरपाल देसवाल, लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
96. श्री दिवाकर शर्मा, सहायक प्रबंधक, कॉयर बोर्ड
97. श्री एस के मल्लाह, सीनियर एकाउंटेंट, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
98. श्री एल. एस. भारद्वाज, कैशियर, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
99. श्री कुलदीप कुमार, अन्वेषक, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
100. श्री के जी मेंदीरत्ता, पीए, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
101. श्री कीर्ति सिंह रावत, पीए, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
102. सुश्री बीनू सिंह, पी.ए., विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
103. श्री एस आर शिवकुमार, पी.ए., विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
104. श्री बी हनुमंथा राव, पी.ए., विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई
105. श्री वी के दीवान डीईओ, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई

****